न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –77/2025, अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –48/2026)
सी.आई.एस. नं. – 48/2026

कन्हैयालाल मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा, निवासी ग्राम सीरा की ढाणी, बिरजपुरा, टोड़ाभाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थी/ अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

.....अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120 बी भा.द.स,
पुलिस थाना बस्सी, जयपुर पूर्व

उपस्थिति :
1. विद्वान अधिवक्ता श्री अमिताभ भटनागर, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार शर्मा, परिवादिया की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य सरकार की ओर से।

–: आदेश :– **दिनांक : 25.04.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र धारा 482 बी.एन.एस.एस के तहत पुलिस थाना बस्सी पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 77/2025 अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भा.द.स. के आधार पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई जा चुकी है। अनुसंधान पत्रावली तलब की गई, प्रस्तुत हुई।

2. परिवादिया सीता देवी द्वारा दिए गए परिवाद पर यह प्रकरण संस्थित हुआ है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बिराजपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर स्थित आबादी भूमि खसरा नंबर 83 में अभियुक्तगण का आवासीय भूखण्ड स्थित है। अभियुक्तगण व उनकी माताजी/दादाजी द्वारा दिनांक 05.01.2018 को परिवादिया व उसके परिवारजनों की उपस्थिति में रूपयों की आवश्यकता होने पर उक्त भूखण्ड को बेचने का प्रस्ताव रखने पर उसके द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके हक में उक्त भूखण्ड का विक्रय इकरारनामा निष्पादित कर दिया। इकरारनामा के अनुसार परिवादिया व अभियुक्तगण के मध्य अभियुक्तगण की माता/दादी की उपस्थिति व सहमति में उक्त भूखण्ड का विक्रय 11,50,000/– रूपये में तय कर दिनांक 10.01.2018 को

इकरारबतौर राशि 09 लाख रूप्ये नकद/चैक द्वारा प्राप्त किये गए जिसमें से राशि 7,50,000/–रूपये प्रत्येक को 1,87,500/–रूपये नकद व तीन चैक, चैक संख्या 041131 राशि 50 हजार रूपये दिनांक 12.01.2018 अभियुक्त गंगासहाय, चैक संख्या 041132 राशि 50 हजार रूपये दिनांक 17.01.2018 अभियुक्त श्रीनारायण व चैक संख्या 041133 राशि 50 हजार रूपये दिनांक 23.01.2018 अभियुक्त कन्हैयालाल को अदा किए गए, जो सभी चैक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी के थे। जिसमें से चैक संख्या 041133 को अभियुक्त कन्हयैलाल से वापस लेकर उसे चैक की राशि अदा कर गई। यह भी तय किया गया कि उक्त बेचानशुदा आबादी भूमि के भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत के द्वारा जारी करवाने के बाद शेष राशि 2,50,000/–रूपये प्राप्त कर विक्रय पत्र परिवादी के पक्ष में पंजीबद्ध करवा देंगे। भूखण्ड के बेचान के समय परिवादिया को यह विश्वास दिलाया गया कि हमने ग्राम पंचायत से भूखण्ड के बेचान का पट्टा प्राप्त करने का आवेदन कर रखा है। विक्रय इकरार के पश्चात् अभियुक्तगण की माता/दादी जमना देवी का स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात् काफी तलब तकाजा किए जाने पर भी अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया के हक में आज दिनांक तक भी उक्त आबादी भूखण्ड का विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं करवाया गया। मालूम करने पर पता चला कि उक्त अभियुक्तगण ने उपरोक्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त कर लिए जाने के बावजूद भी परिवादिया की राशि हडप करने की नियत से परिवादिया के साथ पूर्व नियोजित तरीके से धोखाधडी व छल करते हुए विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है। उक्त परिवाद पर रिपोर्ट दर्ज कर अनसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में अभियुक्तगण के खिलाफ धारा 420, 406, 120 बी भा.द.स. का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया है।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। उक्त मुकदमा फर्जी होने से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस याचिका पेश करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारियों को प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में नहीं लिए जाने का आदेश दिया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इकरारनामा दिनांक 10.01.2018 को अवैध शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने का दावा सीता देवी एवं मुकेश कुमार मीणा के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष पेश करने पर दिनांक 27.08.2025 को न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के पक्ष में स्वीकार किया गया है। इस प्रकरण के अतिरिक्त उसके द्वारा एक इस्तगासा धारा 210 बीएनएसएस में पेश करने पर बस्सी थाने को मुकदमा दर्ज कर गहनता से अनुसंधान के आदेश दिए गए हैं। केवलमात्र इकरारनामे के बेचान से अचल सम्पत्ति के स्वामित्व हित अधिकार आदि का हस्तांतरण नहीं हो जाता है। अचल सम्पत्ति के स्वामित्व, हित अधिकार के हस्तांतरण हेतु विक्रय पत्र की आवश्यकता होती है।

प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी होने पर सीता देवी, मुकेश कुमार व अन्य भू–माफिया सांठगांठ कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2025 के विरूद्ध जाकर उसके स्वामित्व के आवासीय भूमि पर कब्जा करने की कारगुजारी करेंगे, जिससे उसे अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने हेतु तैयार एवं तत्पर है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड अनुसंधान पत्रावली में संलग्न होना नहीं पाया गया।

6. केस डायरी के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि परिवादिया तथा अभियुक्तगण के मध्य एक इकरारनामा दिनांक 10.01.2018 को निष्पादित हुआ था। जिसके अनुसार एक भूखण्ड का दोनों पक्षों के मध्य 11 लाख 50 हजार रूपये में बेचना तय हुआ था और 09 लाख रूपये आरोपीगण प्राप्त कर चुके हैं और इस इकरारनामे में यह शर्त अंकित थी कि इस भूखण्ड का ग्राम पंचायत से पट्टा लेने के उपरांत इसकी रजिस्ट्री आरोपीगण परिवादिया के हक में निष्पादित करवा देंगे। इस परिवाद का अवलोकन करने के उपरांत ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा है जो यह दर्शित करता हो कि मुलजिमान का शुरू से ही आशय परिवादिया को धोखा देने का था। अनुसंधान अधिकारी श्री श्यामलाल हेड कानि0 को न्यायालय द्वारा तलब किया गया और उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने किस आधार पर धारा 420, 406 भा.द.स. का अपराध मुलजिमान के विरूद्ध प्रमाणित माना है तो वे न्यायालय के समक्ष कोई भी जवाब नहीं दे पाये और उनके द्वारा जो जवाब दिया गया है वह निम्न प्रकार से है :–

> **"अपर लोक अभियोजक की उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी से पूछा गया कि उन्होंने इस मामले में धारा 420, 406, 120 बी भा.द.स. का अपराध प्रथम दृष्ट्या बनना कैसे पाया तो उन्होंने यह जाहिर किया कि दोनों पक्षों के मध्य एक जमीन को लेकर एग्रीमेण्ट हुआ था और उसके पट्टे लेने के बावजूद भी मुलजिमान ने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, इसके बाबत् उन्होंने चैक से पैसे भी ले लिए हैं और कब्जा भी सम्भला दिया गया है। इस कारण अपराध प्रमाणित पाया गया है। उनका कथन है कि एग्रीमेण्ट में गवाहान ने भी पैसे लेना और यह एग्रीमेण्ट होना स्वीकार किया है। उनका कथन है कि उन्होंने बैंक के रिकॉर्ड और विकास अधिकारी के रिकॉर्ड के आधार पर भी अपराध प्रमाणित पाया है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी ने अपने द्वारा दी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट को सही होना बताया है।"**

उक्त जवाब को देखने के उपरांत यह दर्शित होता है कि अनुसंधान अधिकारी को विधि का कोई ज्ञान नहीं है। वह यह तक साबित नहीं कर पाये कि उन्होंने मुलजिमान का इस मामले में आपराधिक दायित्व किस तथ्य के आधार पर माना है। न्यायालय के विनम्र मत में प्रथम दृष्ट्या यह दर्शित होता है कि एक सिविल मामले को आपराधिक प्रकरण बनाये जाने का प्रयास अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4825/2025 Dated 18-08-2025** के द्वारा मुलजिमान की गिरफ्तारी पर भी अंतरिम रोक लगाई है। प्रथम दृष्ट्या सम्पूर्ण तथ्यों से यह दर्शित होता है कि यह मामला केवल संविदा की पालना नहीं करने का है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मुलजिम को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। साथ ही इस आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को भी प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलतः अभियुक्त कन्हैयालाल मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रभारी थाना अधिकारी, अनुसंधानकर्ता आरक्षी केन्द्र बस्सी, जयपुर को निर्दिष्ट किया जाता है कि अभियोग संख्या 77/2025 में प्रार्थी कन्हैयालाल मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा की गिरफ्तारी की आवश्यकता हो तो प्रार्थी/अभियुक्त से पचास हजार रुपये का मुचलका और पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें निम्न शर्तों की अनुपालना सहित प्रस्तुत कर प्रमाणित करा दिये जाने पर उन्हें तुरन्त जमानत पर उन्मुक्त कर दिया जावे।

1. जब–जब पुलिस अनुसंधान हेतु तलब करेगी ये उपस्थित हो जाएंगे।
2. साक्ष्य संग्रहण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
3. न्यायालय की अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे।

आदेश की प्रति संबधित थाने को पालनार्थ व पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम

8. आदेश आज दिनांक **25.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम